(1

पुलिस आदेश संख्या 978/2000
1-58-2000 / प्रशि०

(पुलिस हस्तक नियम 684(ii)एवं पुलिस हस्तक परिशिष्ट-93 अनुलग्नक ए एवं बी

विषयः- एस.एल.सी. प्रशिक्षण के संबंध में ।

आरक्षी को एस.एल.सी. के प्रशिक्षण में भाग लेना एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक है । एस.एल.सी. की प्रशिक्षण अवधि 6 महीनों की है । परिशिष्ट 93 में उन विषयों का उल्लेख है जिनमें आरक्षियों को उक्त अवधि में प्रशिक्षित किया जाता है । परन्तु बदले परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि परिशिष्ट में दिये गये विषयों के अतिरिक्त उन्हें अन्य समसामयिक विषयों में भी प्रशिक्षित किया जाय अन्यथा वे अपने कार्य निष्पादन में सफल नहीं हो सकेंगे । इस उद्देश्य से प्रशिक्षण के विषयों में विस्तार की आवश्यकता है । परन्तु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अधिकांश प्रशिक्षुओं की शैक्षणिक योग्यता सातवें वर्ग की है । अतः पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिये जिससे उन्हें प्रशिक्षण के विषयों की मौलिक विषयवस्तु की ग्राह्यता हो जावे तथा कुछ और जानने की जिज्ञासा उनमें बनी रहे ।

इसी उद्देश्य से यह पुलिस आदेश निर्गत किया जाता है । इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात इस बिन्दू पर पूर्व में निर्गत जो भी आदेश हैं वे अवक्रमित हो जायेंगे ।

प्रशिक्षण अवधि में अत्यावश्यक कारणों को छोड़कर छुट्टी अनुमान्य नहीं होगा । प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रशिक्षण चलेगा ।

कानून, पुलिस हस्तक नियम, संगठन, प्रशासन, मैप रीडींग की परीक्षा लिखित होगी अन्य की मौखिक । बाह्य विषयों की परीक्षा व्यवहारिक होगी ।

अनुलग्नकः- ब्लॉक एव विस्तृत सिलेबस ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।